



UDID पोर्टल

चर्चा में क्यों?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice & Empowerment) ने एक अधिसूचना जारी करके सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 01.06.2021 से ऑनलाइन मोड में अद्वितीय अक्षमता पहचान (Unique Disability ID- UDID) पोर्टल के माध्यम से दवियांगता प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है।

प्रमुख बडि

अद्वितीय अक्षमता पहचान (UDID) पोर्टल:

- इस परयोजना को राष्ट्रीय स्तर पर दवियांगजनों का डेटाबेस तैयार करने और प्रत्येक दवियांग (PwDs) को एक वशिष्ट अद्वितीय अक्षमता पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से कार्यान्वयित किया जा रहा है।
- यह परयोजना न केवल वकिलांग लोगों को सरकारी लाभ देने में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता को प्रोत्साहित करेगी बल्कि एकरूपता भी सुनिश्चित करेगी।
- यह परयोजना कार्यान्वयन के सभी स्तरों- ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगतिकी ट्रैकिंग को सरल बनाने में भी मदद करेगी।

दवियांगजन अधिकार अधिनियम, 2016:

- दवियांगजन अधिकार अधिनियम 2016**, दवियांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित करता है।
- इस अधिनियम में वकिलांगता को एक वकिसति और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है तथा अपंगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।
- इस अधिनियम द्वारा दवियांग व्यक्तियों के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है।
- यह अधिनियम दवियांगता से संबंधित नियमों को 'वकिलांग व्यक्तियों के लिये संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities- UNCRPD) के अनुरूप बनाता है। उल्लेखनीय है कि भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता है।

दवियांगजनों के लिये अन्य कार्यक्रम/पहल:

- सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign):** दवियांगजनों हेतु एक सक्षम और बाधा रहित वातावरण तैयार करने के लिये।
- दीनदयाल दवियांग पुनर्वास योजना (DeenDayal Disabled Rehabilitation Scheme):** इस योजना के तहत दवियांग व्यक्तियों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिये गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- एडपि योजना: सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिये वकिलांग व्यक्तियों को सहायता योजना** (Assistance to Disabled persons for purchasing/fitting of aids/appliances scheme- ADIP) का उद्देश्य दवियांगजनों की सहायता हेतु उचित, टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायता तथा उपकरणों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करना है।
- दवियांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फ़ैलोशिप: इसका उद्देश्य दवियांग छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अवसरों में वृद्धि करना है।

स्रोत: पी.आई.बी.

